

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,

जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 572/08

संस्थित दिनांक -18/08/08

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बिरसा

जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

1. सुखराम उर्फ गुड्डा पिता देवलाल मरावी  
उम्र 30 वर्ष जाति गोंड साकिन बोड़ा सिल्ली  
पुलिस थाना मोहगांव जिला- मण्डला  
हाल मुकाम-ग्राम जमुनिया चौकी सालेटेकरी  
थाना बिरसा, जिला-बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी ।

::निर्णय::

{ दिनांक 21/03/2017 को घोषित }

1. अभियुक्त सुखराम उर्फ गुड्डा के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-304(ए), 506 भाग-2 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 01/10/07 को समय रात्रि 09:30 बजे ग्राम जमुनिया अंतर्गत थाना बिरसा में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.51/ए.ए.-0157 को तेज उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक रीति से चलाकर टक्कर मारकर खुशीराम की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है तथा घटना के चश्मदीद साक्षी हरिराम, नेतराम तथा पीतम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.10.07 को प्रार्थी रतिराम द्वारा सालेटेकरी आकर खुशीराम पिता रामलाल के रोड़ पर रात्रि में मृत अवस्था में मिलने एवं घटनास्थल पर ट्रेक्टर के टायर के निशान पाये जाना बताया, जिसकी रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर मर्ग जांच में गवाहों के कथन घटनास्थल का निरीक्षण तथा पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से अज्ञात वाहन के टकराने से खुशीराम की मौत होना पाये जाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण

पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के गवाहों के कथन लेने पर घटना दिनांक को आरोपी सुखराम द्वारा अपने महेन्द्रा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 51/ए.ए.-0157 से डोरली से जमुनिया जाने के दौरान रात्रि ट्रेक्टर को लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोड़ किनारे लेटे मृतक खुशीलाल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित करना तथा आरोपी द्वारा घटना के चश्मदीद साक्षी हरिराम, नेतराम व पीतम को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देना पाया गया। दौरान विवेचना ट्रेक्टर जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 01/10/07 को समय रात्रि 09:30 बजे ग्राम जमुनिया अंतर्गत थाना बिरसा में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.51/ए.ए.-0157 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक रीति से चलाकर टक्कर मारकर खुशीराम की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?

(2) क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर घटना के चश्मदीद साक्षी हरिराम, नेतराम तथा पीतम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

### **::सकारण निष्कर्ष::**

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 तथा 2**

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. रतिराम (अ.सा.01) का कथन है कि मृतक खुशीराम उसका काका था तथा घटना 02 अक्टूबर 2008 की है। वह घटना दिनांक को अपने चाचा के घर पर गया तो वहां पर रोने की आवाज आयी तो उसके पूछने पर चाची कौशल्याबाई ने कहा कि खुशीराम रात्रि में मछली मारने गया था तो किसी ने रोड़ पर उसे मार दिया। फिर वह घटनास्थल पर गया तो वहां मृतक

की डेड बॉडी रोड़ के किनारे पड़ी थी। जिसके बाद वह अपने घर वापस आया। फिर वह लोग पुलिस चौकी सालेटेकरी रिपोर्ट करने के लिये गये थे। उसके द्वारा पुलिस चौकी सालेटेकरी में लिखायी गयी रिपोर्ट प्र.पी.01 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6. कौशल्याबाई (अ.सा.2) का कथन है कि मृतक खुशीराम उसका पति था और घटना उसकी साक्ष्य देने की तिथि से करीब 03 वर्ष पूर्व की है। उसे सुबह पता लगा था कि उसके पति की लाश सड़क पर पड़ी है। उसे घटना के संबंध में जेठ हरीलाल ने बताया था परंतु हरीलाल ने मृत्यु कैसे हुई उसकी जानकारी नहीं दी थी।

7. हरिराम (अ0सा07) का कथन है कि मृतक खुशीराम उसका भाई था और घटना उसकी साक्ष्य देने से करीब छः—सात साल पहले की है। मृतक खुशीराम ग्राम जमुनिया स्थित दमोह रोड़ पर जमीन पर पड़ा मिला था। जिसे किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मारकर गिरा दिया था। खुशीराम के सिर पर चोट थी और वह मृत अवस्था में पड़ा था। वह चिल्लाया और उसने गांववालों को बताया जिसके बाद उसने सालेटेकरी चौकी जाकर सूचना दी थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उसे मौके पर दुर्घटना करने वाले वाहन का पता नहीं लग पाया था।

8. रमेश (अ0सा08) का कथन है कि खुशीराम उसका भाई था जिसकी मृत्यु वर्ष 2007 में हो गयी थी। घटना के समय वह बैल ढूँढ़ने गया था तथा घर वापस आने पर उसने अपने भाई खुशीराम के मृत शरीर को देखा था जिसकी गर्दन पर चोट का निशान था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी दुरपसिंह (अ0सा0.10) का कथन है कि वह आरोपी तथा मृतक को जानता है। उसे बाद में पता लगा था कि खुशीराम की ट्रेक्टर से दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। दुर्घटना उसके सामने नहीं हुई थी। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे। घटना के अन्य साक्षी विनोद अ0सा03, दिनेश अ0सा04, सेठिनबाई अ0सा06, पीतम अ0सा08 पक्षद्रोही रहे हैं। जिन्होंने घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इंकार किया है।

9. डां. मेश्राम (अ0सा09) का कथन है कि दिनांक 02.10.07 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहने के दौरान थाना बिरसा के आरक्षक क्रमांक 760 द्वारा खुशीराम पिता रामलाल का शव परीक्षण हेतु लाया गया था। जिसके परीक्षण पर उसके बायीं कनपटी, बांयी भौं, दाहिने गाल के मध्य भाग से लेकर दाहिने जबड़े तक तथा दाहिने

गले के निचले भाग, दोनों कुल्हों के बीच, दाहिने कंधे तथा दाहिने एवं बायीं उपरी भुजा के बाहर की तरफ सूजन पाया था। उक्त चोटें शव परीक्षण के 12-24 घण्टें पूर्व की होकर किसी कड़ी व बोथरी वस्तु के तेज प्रहार अथवा रोड़ एक्सीडेंट से होना प्रतीत होती थीं। मृत्यु का कारण फेफड़े फटने से हुए अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण सिनकोप था तथा मृत्यु शव परीक्षण से 12-24 घण्टे के भीतर हुई थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. सुरेश खाण्डे (अ0सा05) का कथन है कि दिनांक 02.10.07 को सालेटेकरी चौकी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर रहने के दौरान रतिराम द्वारा मृतक खुशीराम की मृत्यु बाबद सूचना दिये जाने पर उसके द्वारा प्र.पी.01 की शून्य पर मर्ग इंटीमेशन लेख की गयी थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मर्ग इंटीमेशन के उपरांत घटनास्थल पर जाकर पंचायतनामा प्र.पी. 02 एवं नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.03 की कार्यवाही पंचों के समक्ष की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही हरिराम की निशांदाही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.04 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक के शव को शव परीक्षण हेतु फार्म भरकर शासकीय अस्पताल बिरसा भेजा था। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी रतिराम साक्षी हरिराम, कौशल्याबाई, दिनेश, सेठिन, विनोदकुमार, मनेशकुमार, कलेश कुमार, शेख शाहबुद्दीन उर्फ अन्ना, एवनलाल, मनोज, पीतमसिंह, पंचमसिंह तथा रामदुलारे के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्र.पी.05 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन 75/07 अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध दिनांक 12.10.07 को लेख किया था जिसके ए से ए एवं बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 13.10.07 को प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करने के उपरांत विवेचना के दौरान प्र.पी.06 का नक्शा भी तैयार किया था। जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान पुनः साक्षीगण हरिराम, रतिराम, कौशल्याबाई, दिनेशकुमार, रमेश, शेख शाहबुद्दीन, एवनलाल, मनोज, पीतमसिंह, पंचमसिंह तथा रामदुलारे के कथन लेख किये थे। प्रकरण की शेष विवेचना आर.एस.चौहान थाना बिरसा के द्वारा की गयी थी।

11. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को खुशीराम की मृत्यु हुई थी। परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। किसी भी साक्षी ने कथित ट्रेक्टर

वाहन से अभियुक्त द्वारा दुर्घटना करने के संबंध में लेश मात्र भी कथन नहीं किये हैं अपितु सभी साक्षियों ने घटना नहीं देखना व्यक्त किया है। अभियोजन द्वारा यद्यपि विवेचना अधिकारी आर.एस.चौहान की साक्ष्य नहीं करायी गयी है तथापि उक्त साक्षी घटना का साक्षी नहीं है। अतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि घटना दिनांक को घटना के समय आरोपी रामचरण लढ़िया ट्रैक्टर वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक चलाकर उसे पलटाकर रामदयाल डोहर की ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता है।

12. जहां तक घटना के चश्मदीद साक्षियों हरिराम, नेतराम तथा पीतम के संबंध में आपराधिक अभित्रास का प्रश्न है उक्त संबंध में भी प्रकरण में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। साक्षीगण हरिराम अ0सा07 तथा पीतम अ0सा08 ने आरोपी द्वारा किसी धमकी के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अपितु उक्त दोनों साक्षियों ने घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होना व्यक्त किया है तथा पीतम अ0सा08 ने आरोपी को पहचानने से भी इंकार किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी नेतराम का परीक्षण भी नहीं कराया गया है।

13. उपरोक्त विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी सुखराम उर्फ गुड्डा ने दिनांक 01/10/07 को समय रात्रि 09:30 बजे ग्राम जमुनिया अंतर्गत थाना बिरसा में लोकमार्ग पर वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 51/ए.ए.-0157 को तेज उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक रीति से चलाकर टक्कर मारकर खुशीराम की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है तथा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर घटना के चश्मदीद साक्षी हरीराम, नेतराम तथा पीतम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः आरोपी सुखराम उर्फ गुड्डा को भा0द0सं0 की धारा 304ए एवं 506 भाग-2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. आरोपी के जमानत मुचलके द0प्र0सं0 437क के आलोक में विहित समयावधि 6 माह उपरांत भारमुक्त होंगे और उक्त अवधि पश्चात् जमानतदार भी उन्मोचित होगा।

15. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 51/ए.ए.-0157 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दनामा वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की

दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन हो।

16. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)